हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (बी-अनुभाग)

सं०:एस०जे०ई०-बी०-एफ०(४)-3/2019 दिनांक शिमला-2 र उत्प्रेल , 2022.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस०जे०ई०-बी०-सी०(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम-4(1), नियम-7 तथा नियम 8(2) व (3) में निम्नलिखित संशोधन करतें हैं:-

नियम ४. पात्रताः (१) वृद्धावस्था पैंशनः-

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जायेगी।

नियम ७. पैंशन / भत्ता की दरें:-

- (I) 60-69 आयु वर्ग के पुरूषों और 60-64 आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1000/-रू० प्रति माह देय होगी।
- (II) 65-69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1150/-रू0 प्रति माह देय होगी ।
- (III) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1700/-रू० प्रति माह देय होगी ।
- (IV) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (४०-६९ प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक ०१.०४.२०२२ से पैंशन/भत्ता, ११५०/-रू० प्रति माह देय होगा।
- (v) 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 1700/-रू० प्रति माह देय होगा।
- (VI) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैण्डर पैंशनरों को दिनांक 01.04.2022 से भत्ता/ पैंशन 1000/-रू० प्रति माह देय होगी ।

Cont..../2



नियम 8. (2) व (3): वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत अत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पैंशन प्राप्त करने की प्रक्रियाः-

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजैन्डर (अर्थात ऐसे सभी वर्ग जिनके लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा०न्या०एवं अधि०) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-१७१०००।

पृष्ठांकन संख्याः :एस०जे०ई०-बी०-एफ०(४)-3/2019 दिनांक शिमला-2 **४ अप्रे**न्न २०२२. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

- 1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
- 2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
- 4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि०प्र०, शिमला-३
- 5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
- 6. निदेशक, अनुसूचित जीति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि० प्र०, शिमला-९
- 7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिगर्लेंड, शिमला-171001
- 8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि०प्र०, शिमला-2
- १०. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
- 11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-२ ।
- 12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

उप सचिव (सा०न्या०एवं अधि०) हिमाचल प्रदेश सरकार।